तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लक्ष्मणा बनाम मदना Case No – 28/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.04.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 15 के कायम मुकाम की विधिवत तलबी हेतु उनके वर्तमान पूर्ण पत्ते के सम्मन आदिनांक तक पेश नहीं किये है, जबकि इस आशय के लिए न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के साथ–साथ स्पष्ट निर्देश भी निर्गत किए गए थे। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का उक्त आचरण आदेश 9 नियम 5 सीपीसी में प्रतिपादित विधिक दायित्वों का प्रत्यक्ष उल्लंघन की श्रेणी में आता है। साथ ही, रेस्पोडेण्ट संख्या 11 पतासी के निधन के उपरान्त उनके विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित किए जाने हेतु अपेक्षित विधिक प्रक्रिया का भी अनुपालन नहीं किया है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के प्रतिकूल है। प्रकरण में अपीलाण्ट की ओर से किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही नहीं होने से प्रकरण वर्ष 2021 से तलबी के स्तर पर न्यायालय में लम्बित है, जो कि पुराने प्रकरणों की श्रेणी में भी आता है। अतएव, उपर्युक्त कारणों से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अपीलार्थी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह प्रकरण में विधिक उपचार करते हुये समस्त आवश्यक पक्षकारों, जिसमें मृत्त रेस्पोडेण्ट के विधिक वारिस भी सम्मिलित हों, को उनके वर्तमान पूर्ण पत्ते सहित पक्षकार बनाते हुए पुनः अपील पेश कर सकते है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलक्टर, पाली	